बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग,
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्याः– ल0सिं0मो0–जांच (JJHA)-177/2020 - 1627 (मो0) / पटना,दिनांकः– 26/8/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

विषयः– **माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के जल–जीवन–हरियाली यात्रा के क्रम में दिनांक 04.01.2020 को जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा चयनित स्थल बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत अवस्थित वैसी जलकर योजना के प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन अधियाचना करने के संबंध में।**

प्रसंग– **आपका पत्रांक 685 दिनांक 19.08.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि जिला पदाधिकारी खगड़िया द्वारा चयनित स्थल बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत अवस्थित 'वैसी जलकर योजना' की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति 69.02 लाख रूपये की हो गयी है। आपके द्वारा उक्त योजना की तकनीकी स्वीकृति 83.61 लाख रूपये की दी गयी है तथा तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति में संशोधन का अनुरोध किया गया है।

संलग्न प्राक्कलन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मूल प्राक्कलन में क्या प्रावधान था तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन में क्या अतिरिक्त प्रावधान किया गया है जिसके फलस्वरूप राशि में बढ़ोत्तरी हुई है। इस संबंध में कृपया तुलनात्मक विवरणी उपलब्ध करायी जाये जिससे बढ़ोत्तरी का कारण स्पष्ट हो सके। तुलनात्मक विवरणी में स्पष्ट होना चाहिए कि मूल प्राक्कलन के प्रावधान के फलस्वरूप कितनी बढ़ोत्तरी हुई है तथा नये मद के प्रावधान के फलस्वरूप कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।

आपके पत्र में श्रम–शक्ति अधियाचना की बात कही गयी है। श्रम शक्ति अधियाचना का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप इस कार्य को विभागीय स्तर से करवाना चाहते है, क्योंकि विभागीय कार्य में श्रम शक्ति की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। आपके पत्र के साथ संलग्न अधीक्षण अभियंता के पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि 12.65 लाख रू0 का कार्य विभागीय स्तर से करा लिया गया है।

इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विभागीय स्तर से आंशिक काम क्यों कराया गया। यदि विभागीय स्तर से काम कराना था तो नियमानुकूल प्रक्रिया अपनाकर योजना का पूरा कार्य ही करना चाहिए था।

इस संबंध में कृपया स्पष्ट किया जाय कि–

1. अवशेष कार्य कराने की अब आवश्यकता है अथवा नहीं ?
2. कराये गये कार्य का प्राक्कलन सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित है अथवा नहीं ?

3. योजना का Pre-Level अंकित है अथवा नहीं है ? तथा इसकी जांच मनरेगा के JE/AE से जांचित है अथवा नहीं ?
4. Labour strength की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है अथवा नही ? यदि प्राप्त है तो उसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।
5. Muster Roll की जांच कर ली जाय तथा उसकी प्रति भी उपलब्ध करायी जाय।
6. कराये गये कार्य की प्राक्कलित राशि तथा भुगतेय राशि अलग–अलग कितनी है।

उक्त के संबंध में जांचकर प्रतिवेदन कृपया शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि इसपर आवंटन निर्गत करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

26/8/2020

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1627 (मो0) /पटना, दिनांक– 26/8/2020

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2020

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।